

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के लिए

डीबी सिविल रिट याचिका संख्या 14029/2024

मनीष शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री मंगल दत्त शर्मा, आयु लगभग 48 वर्ष, निवासी फ्लैट नं. 402, कृष्णा कृपा अपार्टमेंट नं. 3, सुभाष नगर, जयपुर (राज.)-302016 वर्तमान में उप निदेशक (वरिष्ठ समयमान), कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, भवानी सिंह रोड, जयपुर (राज.) के पद पर कार्यरत हैं।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सचिव श्रम और रोजगार मंत्रालय के माध्यम से, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
2. अध्यक्ष कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
3. महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन, सिग मार्ग, नई दिल्ली-110002
4. बीमा आयुक्त (पी एंड ए), कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन, सिगरेट मार्ग, नई दिल्ली-110002 क्षेत्रीय निदेशक, ईएसआईसी,
5. क्षेत्रीय कार्यालय, भवानी सिंह रोड, जयपुर -302005

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री शैलेश प्रकाश शर्मा
प्रतिवादी(ओं) के लिए : श्री नमो नारायण शर्मा

माननीय श्रीमान. जस्टिस अवनीश झिंगन
माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार
आदेश

30/08/2024

अवनीश झिंगन, जे (मौखिक):

1. यह याचिका केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण जयपुर पीठ, जयपुर (संक्षेप में 'ट्रिब्यूनल') द्वारा पारित दिनांक 31.07.2024 के आदेश से व्यथित होकर दायर की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता के मूल आवेदन (ओए) को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया था।
2. संक्षिप्त तथ्य यह है कि आरोप-पत्र जारी करने के बाद जांच की गई और 17.01.2024 का आदेश पारित किया गया जिसमें तीन साल के लिए समय वेतनमान में दो चरणों से निचले स्तर पर कटौती का दंड लगाया गया। इसके अलावा याचिकाकर्ता

ऐसी कटौती की अवधि के दौरान वेतन वृद्धि अर्जित नहीं करेगा और ऐसी अवधि की समाप्ति पर कटौती का उसके वेतन में भविष्य की वृद्धि को स्थगित करने का प्रभाव नहीं होगा। आदेश को ओए दाखिल करके चुनौती दी गई थी ट्रिब्यूनल ने इस आधार पर आदेश को रद्द कर दिया :- (i) जांच अधिकारी के निष्कर्ष आरोप संख्या 1 पर विशिष्ट नहीं थे; (ii) याचिकाकर्ता के बचाव के लिए प्रासंगिक सामग्री साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया था और दस्तावेजों का पता नहीं चल पाया था; (iii) सामग्री और सत्यापन योग्य साक्ष्य पर विचार न करना; (iv) अंत में केंद्रीय सतर्कता आयोग की सलाह की प्रतियां याचिकाकर्ता को प्रदान नहीं की गईं। मामले को उसमें बताई गई कमियों को सुधारने के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी को वापस भेज दिया गया। जाँच अधिकारी को निर्देश दिया गया कि वे इस बात पर ठोस निष्कर्ष दर्ज करें कि क्या आरोप संख्या 1 सिद्ध हुआ था, यदि हाँ, तो किस प्रकार। साथ ही, याचिकाकर्ता को वे दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएँ जिन पर भरोसा किया गया है।

3. वर्तमान याचिका में शिकायत न्यायाधिकरण द्वारा अनुशासनात्मक प्राधिकारी को जारी किए गए विशिष्ट निर्देशों के संबंध में है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि एक बार जब याचिकाकर्ता के तर्कों को स्वीकार कर लिया गया और यह दर्ज कर लिया गया कि दस्तावेजों का पता नहीं लगाया जा सकता है, तो अनुशासनात्मक प्राधिकारी को आगे कोई विशिष्ट निर्देश देने का कोई अवसर नहीं था।

5. प्रस्ताव की सूचना.

6. विद्वान अधिवक्ता श्री नमो नारायण शर्मा प्रतिवादियों की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं।

7. पक्षकारों की सहमति से मामले की सुनवाई आज ही की जाती है।

8. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने विवादित आदेश का बचाव किया है। उनका तर्क है कि प्रतिवादी हमेशा विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए याचिकाकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं।

9. एकमात्र शिकायत न्यायाधिकरण द्वारा अनुशासनात्मक प्राधिकारी को एक विशेष तरीके से कार्यवाही करने के लिए जारी किए गए विशिष्ट निर्देशों के संबंध में है, वह भी आक्षेपित आदेश को रद्द करने के बाद। वर्तमान याचिका का निपटारा यह स्पष्ट करते हुए किया जाता है कि आक्षेपित आदेश को रद्द करने के लिए प्रतिवादी द्वारा कोई चुनौती न दिए जाने पर, न्यायाधिकरण के निर्देशों का अर्थ यह होगा कि आक्षेपित आदेश को रद्द करने के बावजूद, प्रतिवादी, यदि ऐसा परामर्श दिया जाता है, तो याचिकाकर्ता के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

10. तदनुसार याचिका का निपटारा किया जाता है।

(आशुतोष कुमार), जे

(अवनीश झिंगन), जे

सरल कुमावत /04

क्या रिपोर्ट योग्य है: हाँ

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी